दूरभाष : 26175176
फैक्स : 26162093
Email : ddhts-exam-dol@nic.in

संख्या - 15/02/2021-उ0नि0(परीक्षा)/ 820
भारत सरकार
उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय
हिंदी शिक्षण योजना
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

पूर्वी ब्लाक-7, लेवल- 6,
रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-66
दिनांक : 25 JUN 2021

सेवा में

सभी संयुक्त निदेशक/सभी उप निदेशक/सर्वकार्यभारी अधिकारी,
हिंदी शिक्षण योजना/पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

विषयः- नवंबर, 2021 में आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रवीण/प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग/पारंगत तथा प्रबोध परीक्षाओं का कार्यक्रम समय सारणी ।

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग के अंतर्गत आयोजित होने वाली हिंदी प्रवीण/प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग,पारंगत तथा प्रबोध की परीक्षाएँ परीक्षा स्कंध द्वारा प्रति वर्ष मई एवं नवम्बर माह के तीसरे/चौथे सप्ताह में आयोजित की जाती हैं । इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाते हैं। प्रत्येक सत्र में इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले नियमित/प्राइवेट/पत्राचार पाठ्यक्रमों के परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम परीक्षा समाप्त होने के एक माह के अंदर घोषित किए जाते हैं ।

नवंबर, 2021 में आयोजित की जाने वाली हिंदी भाषा परीक्षा के संबंध में सूचित करना है कि राजभाषा विभाग के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने एवं उसकी मॉनीटरिंग को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए **"प्रणाली"** तैयार की गई है । परीक्षा व्यवस्था को जनवरी,2018 से **"प्रणाली"** से जोड़ा जा चुका है । सभी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों/उप निदेशको से अनुरोध है कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के दिनांक 10 जनवरी,2018 पत्र सं. 12/6/2016 हि.शि.यो.(मु.)/127 के अनुसार नवंबर, 2021 की परीक्षाओं से संबधी कार्य नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित् कराएं-

1. विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण करते हुए विवरण संकाय सदस्यों अर्थात् हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक (भाषा) द्वारा Online **"प्रणाली"** में भरा जाए, तत्पश्चात संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों/उपनिदेशकों से सत्यापित कराकर परीक्षा शाखा को भेजा जाए । परीक्षा शाखा द्वारा मैनुअल परीक्षा फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे । केवल उन्हीं कार्मिकों की परीक्षा होगी, जिनका विवरण प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु विधिवत **"प्रणाली"** में भरा होगा ।

2. सभी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक स्वयं यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक संकाय सदस्य द्वारा प्रशिक्षार्थियों का संपूर्ण विवरण **"प्रणाली"** में सही भरा गया है ।

....2/..

3. **"प्रणाली"** के अन्तर्गत संकाय सदस्यों द्वारा प्रशिक्षार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि जुलाई-नवंबर सत्र में 31 अगस्त, 2021 तथा क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों/ उप निदेशकों द्वारा उक्त पंजीकरण को प्रमाणित करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर, 2021 निर्धारित की गई है । क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक विवरण पंजीकृत करने के उपरांत तत्काल संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक (परीक्षा) को ई मेल द्वारा सूचित करें । अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रशिक्षार्थी का विवरण नहीं भरा जा सकेगा और इसकी जिम्मेदारी संबंधित संकाय सदस्य तथा उनकी मॉनेटरिंग करने वाले अधिकारियों की होगी ।

क्षेत्रीय कार्यालयों का पता एवं ई मेल आई.डी. निम्नवत है:-

(1) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (मध्योत्तर) हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 ddhts-nc-dol@nic.in	दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल व चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए
(2) संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक (दक्षिण) हिंदी शिक्षण योजना, ई-3, सी ब्लॉक, राजाजी भवन, बेसन्ट नगर, चेन्नै-600090 ddhts-south-dol@nic.in	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल,तेलंगाना तथा पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए
(3) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (पूर्व) हिंदी शिक्षण योजना, 18वां तल, निजाम पैलेस परिसर, 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-700020 ddhts-east-dol@nic.in	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, अंडमान-निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए
(4) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (पश्चिम) हिंदी शिक्षण योजना, केंद्रीय सदन, सी. विंग, छठा माला, सी.बी.डी., बेलापुर, नवीं मुंबई-400614 ddhts-west-dol@nic.in	महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, दमन दीव, दादरनगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए
(5) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (पूर्वोत्तर) हिंदी शिक्षण योजना, पू.सी.रेलवे मुख्यालय, मालीगांव, गुवाहाटी-।। (असम) ddhts-ne-dol@nic.in	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों में स्थित कार्यालयों के लिए
(6) उप निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011 ई.मेल-adptracharchti-dol@nic.in	

(7) उप निदेशक

हिंदी शिक्षण योजना,
ए-विंग, 5वां तल,17वां मेन,
केंद्रीय सदन, कोरमंगला,
बेंगलुरू - 560034
Chti1137@nic.in

(8) उप निदेशक,

हिंदी शिक्षण योजना,
कमरा नं0 403, 6-8-/32 चौथा तल,
सी.जी.ओ.टावर्स,कवाडीगुडा
सिकंदराबाद - 500080 (तेलंगाना)
Chti1147@nic.in

4. हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ की ऑन-लाइन परीक्षाएं भी आयोजित की जाती रही हैं, **किंतु कोविड से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण सक्षम अधिकारी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अगले आदेशों तक ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा ।**

5. नियमानुसार परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्न-पत्र एवं आंतरिक मूल्यांकन/मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। किसी एक प्रश्न-पत्र में 35 प्रतिशत अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी के परीक्षा परिणाम को पूरक घोषित किया जाएगा ।

6. हिंदी भाषा के 5 दिवसीय अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (Validation Course) के प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण क्षेत्रीय उप निदेशकों के माध्यम से किया जाए तथा इसकी सूचना ईमेल द्वारा संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (परीक्षा) को दी जाए ।

7. प्रशिक्षार्थी के परीक्षा केंद्र परिवर्तन संबंधी कार्रवाई क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों/उप निदेशकों के माध्यम से ही की जाएगी जिसकी सूचना क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों/उप निदेशकों द्वारा तत्काल परीक्षा शाखा को ई मेल द्वारा दी जाए ताकि केंद्र परिवर्तन हेतु नया प्रवेश पत्र जारी किया जा सके । उक्त प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षार्थी को परीक्षा की निर्धारित तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व आवेदन करना होगा । उसके पश्चात् केंद्र परिवर्तन हेतु किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

8. **संकाय सदस्यों द्वारा "प्रणाली" के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क का विवरण भरने के पश्चात् ही परीक्षा स्कंध द्वारा प्रवेश पत्र जारी किए जा सकेंगे ।**

9. संकाय सदस्य प्रवेश-पत्र परीक्षा से दो सप्ताह पूर्व **"प्रणाली"** से स्वंय डाउनलोड कर सकेंगे ।

10. केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के लिए प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग, पारंगत एवं प्रबोध परीक्षाओं के लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है । भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के सभी कार्मिकों के लिए प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग एवं प्रबोध हेतु रू0-100/- परीक्षा शुल्क देय है । पारंगत परीक्षा के लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है ।

11.

<u>परीक्षा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट www.onlinesbi.com</u> **पर निम्नलिखित स्टैप्स अपनाते हुए ऑनलाइन जमा करवाया जाए तथा ऑनलाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती / रसीद संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजी जाए ।**

.....4/-

<u>ऑनलाइन फीस जमा करने के स्टैप्स:-</u>

1.सबसे पहले State Bank of India की **वेबसाइट** www.onlinesbi.com में **State Bank Collect** नामक उपशीर्षक पर जाएँ ।

या

State Bank of India की वेबसाइट www.onlinesbi.com पर मुख्य शीर्षक State Bank of India पर क्लिक करने पर **State Bank Collect** नामक उपशीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए **Proceed** करें।

↓

2. **State Bank Collect** पेज पर **State of Corporate/Institution**में **All India** Select करें तत्पश्चात् **Type of Corporate/Institution** में **Govt. Department** Select करें एवं **GO** को क्लिक करें ।

↓

3. **Govt. Department Name** में **HINDI TEACHING SCHEME, DEPT.OF OFFICIAL LANGUAGE MHA** को **SUBMIT** करें ।

↓

4. **Select Payment Category** में **Hindi Teaching Scheme Select** करें । **Select** करते ही एक फार्म खुल जाएगा ।

↓

5. इस फार्म को भरने के पश्चात **Submit** करें । **Submit** करने के बाद अपने भरे हुए विवरण को **Confirm** कर **Payment** करें ।

↓

6. Payment करने के बाद Receipt के प्रिंट की फोटोप्रति उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को भेजें।

(ऑनलाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली कार्यालय में भेजना अनिवार्य है।)

अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों में ही डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान किया जाए तथा परीक्षा शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट उपनिदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम देय होना चाहिए । ड्राफ्ट का विवरण प्रणाली में अवश्य भरा जाए । प्रणाली में परीक्षा शुल्क संबंधी विवरण भरे जाने पर ही पंजीकरण परीक्षा स्कंध द्वारा स्वीकृत किया जाएगा अन्यथा उनके प्रवेश-पत्र नहीं निकाले जा सकेंगे।

....5/-

नवंबर 2021 परीक्षाओं की समय-सारणी

परीक्षा	प्रश्न-पत्र	दिन	दिनांक	समय
प्रवीण	प्रथम	सोमवार	15.11.2021	10.00 से 01.00 बजे तक
प्रवीण	द्वितीय	सोमवार	15.11.2021	02.00 से 05.00 बजे तक
प्रवीण	मौखिक	मंगलवार	16.11.2021	10.00 से 05.00 बजे तक
प्राज्ञ/बैंकिंग	प्रथम	मंगलवार	16.11.2021	10.00 से 01.00 बजे तक
प्राज्ञ/बैंकिंग	द्वितीय	मंगलवार	16.11.2021	02.00 से 05.00 बजे तक
प्राज्ञ/बैंकिंग	मौखिक	बुधवार	17.11.2021	10.00 से 05.00 बजे तक
प्रबोध	प्रथम	बुधवार	17.11.2021	10.00 से 01.00 बजे तक
प्रबोध	द्वितीय	बुधवार	17.11.2021	02.00 से 05.00 बजे तक
प्रबोध	मौखिक	गुरूवार	18.11.2021	10.00 से 05.00 बजे तक
पारंगत	प्रथम	गुरूवार	18.11.2021	10.00 से 01.00 बजे तक
पारंगत	द्वितीय	गुरूवार	18.11.2021	02.00 से 05.00 बजे तक

12 **"प्रणाली"** के अंतर्गत केंद्र अधीक्षक संबंधी संपूर्ण जानकारी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/संकाय सदस्य द्वारा भरी जाएगी । संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/संकाय सदस्य यह सुनिश्चित् करे कि केंद्र **अधीक्षक राजपत्रित अधिकारी हो, उसी शहर में कार्यरत हों** तथा परीक्षा के दिनों में उनके स्थानांतरण/अवकाश पर जाने की संभावना न हो । उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों को भी परीक्षा केंद्र अधीक्षक बनाया जा सकता है जो कि राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो ।

13 **"प्रणाली"** में केंद्र अधीक्षक संबंधी विवरण क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों/उप निदेशकों/संकाय सदस्यों द्वारा संयुक्त निदेशक/उप निदेशक(परीक्षा) को अग्रेषित किया जाए ताकि परीक्षा संबंधी आगे की कार्रवाई करते हुए केंद्र अधीक्षक का नियुक्ति पत्र एवं प्रश्न-पत्र, समय सारणी आदि यथासमय भिजवाई जा सके ।

14. कृपया सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक/सर्वकार्यभारी अधिकारी परीक्षाओं के संचालन हेतु परीक्षा भवन का किराया (जहां परीक्षा भवन किराए पर लेने की आवश्यकता हो) पारिश्रमिक राशि तथा फुटकर खर्च आदि के लिए अग्रिम राशि की प्राप्ति हेतु प्रस्तावित केंद्र अधीक्षक का बैंक खाता संख्या, IFSC Code, बैंक का नाम आदि एवं अग्रिम मांगपत्र भी दिनांक 9.10.2021 तक परीक्षा स्कंध को भिजवाया जाना सुनिश्चित् करें ।

15. परीक्षा से संबंधित बिलों का भुगतान केवल ऑनलाइन द्वारा केंद्र अधीक्षक के बैंक खाते में ही किया जाएगा । बिल के साथ केंद्र अधीक्षक के बैंक खाते का विवरण, यथा बैंक का नाम/शाखा का नाम/आई.एफ.एस.सी.कोड तथा मोबाइल नं. अनिवार्य रूप से भेजा जाए ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित भुगतान प्रक्रिया का पालन हो सके । सुगमता को देखते हुए कैंसल चैक की एक फोटो प्रति भी भेजी जाए ।

16. कोविड-19 से उत्पन्न विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नवंबर, 2021 सत्र की प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग, प्रबोध तथा पारंगत परीक्षाओं का आयोजन नवम्बर, 2020 की परीक्षाओं के समान विकेंद्रीकृत रूप से किया जाएगा । निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के दिनांक 07 जून, 2021 के पत्र संख्या 07/05/2018-हिंशियो(मु0)/1004 के पैरा-02 में निहित निदेशानुसार पिछले सत्र जनवरी-मई 2021 के परीक्षार्थियों को प्रशिक्षण हेतु पुन: पंजीकृत नहीं किया जाएगा । अत: महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से मई 2021 की स्थगित की गई परीक्षाओं के लिए पंजीकृत परीक्षार्थी भी नवंबर 2021 की परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे ।

....6/-

पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु विशेष दिशा निर्देशः-

(क) जो परीक्षार्थी कोविड-19 के कारण मई, 2021 सत्र की होने वाली परीक्षा में शामिल होने थे, वे परीक्षार्थी नवंबर, 2021 में होने वाली परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे । कोरोना-19 की स्थिति में परीक्षा संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी सरकारी दिशा-निर्देशों का ध्यान रखा जाए ।

(ख) जिन परीक्षार्थियों को कोविड-19 के कारण मई, 2020 के स्थान पर नवम्बर,2020 की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई तथा जो पूरक घोषित किए गए ऐसे परीक्षार्थी नवंबर,2021 की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे । उनका विस्तृत विवरण "प्रणाली" में पुन: अपलोड नहीं किया जाएगा, उनकी पूर्व में जारी पंजीकृत संख्या ही प्रयोग में लाई जाएगी । नवम्बर,2020 के पूरक परीक्षार्थी अगर नवंबर, 2021 परीक्षा में भाग नहीं लेते तो उन्हें बाद में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में तीनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा देनी होगी, जिसके लिए पुन: पंजीकरण कराना होगा तथा क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक कार्यालयों द्वारा उनका विवरण अग्रेषण संयुक्त निदेशक/उप निदेशक(परीक्षा) को अग्रेषित करना होगा ।

(ग) भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में 10/- रूपये का बैंक ड्राफ्ट उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के पक्ष में भेजना होगा ।

(घ) पत्राचार के वे प्रशिक्षार्थी जो किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे सके/सकेंगे अथवा अनुत्तीर्ण हो गए हैं, ऐसे प्रशिक्षार्थी आगामी सत्रों की परीक्षाओं में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा फार्म भर सकते हैं । **ऐसे प्रशिक्षार्थियों को यह जानकारी निश्चित रूप से प्रदान कर दी जाए कि प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में उन्हें मौखिक परीक्षा भी देनी होगी ।**

भवदीय

25/06/2021

(अजय मलिक)
उप निदेशक (परीक्षा)
chti1141

टिप्पणी:- 1. **कोविड-19 से उत्पन्न विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नवंबर, 2021 सत्र की प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग, पारंगत तथा प्रबोध परीक्षाओं का आयोजन नवम्बर, 2020 की परीक्षाओं के समान विकेंद्रीकृत रूप से किया जाएगा ।**

2. कृपया संबंधित कार्यालय अपने कार्यालय का ई-मेल पता भेजने का कष्ट करें ताकि भविष्य में ई-मेल द्वारा पत्राचार किया जा सके ।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
2. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.-।। भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.-।। भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001 को इस अनुरोध के साथ कि इसे सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न नराकास अध्यक्षों को परिचालित करने की कृपा करें ।